



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 ज्येष्ठ 1944 (श0)

(सं0 पटना 362) पटना, सोमवार, 13 जून 2022

श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना प्रारूप  
10 जून 2022

एस0 ओ0 101, दिनांक 13 जून 2022—न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (11, 1948) की धारा-3 की उपधारा (1) के खंड (बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, बिहार राज्य में निम्नांकित नियोजनों में नियोजित कुछेक कोटि के कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार की विभिन्न अधिसूचनाओं में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरों का पुनरीक्षण करना चाहते हैं, उससे संबंधित प्रस्ताव का निम्नलिखित प्रारूप उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के खंड (ख) की अपेक्षानुसार इसके द्वारा प्रभावित हो सकने वाले व्यक्तियों की जानकारी के लिए इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है और इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि बिहार गजट में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो महीने के बाद उक्त प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा।

दो महीने की उक्त अवधि की समाप्ति की तारीख को या उसके पहले इस प्रस्ताव के संबंध में किसी व्यक्ति से जो भी आपत्ति या सुझाव प्राप्त होगा उस पर राज्य सरकार विचार करेगी।

प्रस्ताव प्रारूप  
अनुसूची- I

क्र0 सं0	अनुसूचित नियोजनों का नाम
1.	सामान्य नियोजन (69 नियोजन)
1.	कॉ- ऑपरेटिव सेक्टर
2.	अल्मुनियम उद्योग
3.	खंडसारी उद्योग
4.	केमिकल एंड फर्मास्यूटिकल उद्योग
5.	साबुन निर्माण उद्योग
6.	सिमेंट प्री- स्ट्रेटेटेड प्रोडक्ट्स उद्योग
7.	एस्वेस्टस सिमेंट उद्योग
8.	ग्लास शीट निर्माण
9.	बन्दूक करखाने
10.	धार्मिक एवं सामाजिक संस्थान
11.	पेपर उद्योग

क्र० सं०	अनुसूचित नियोजनों का नाम
1.	सामान्य नियोजन (69 नियोजन)
12.	लौण्डीज एंड वासिंग
13.	होजियरी निर्माण
14.	सिंदुर एवं रंग बनाने का उद्योग
15.	चर्म वस्तु निर्माण
16.	उड वर्क्स फर्नीचर
17.	आइस्क्रिम एवं कोल्ड ड्रिंक्स
18.	पेट्रोल एवं डिजल पम्पस
19.	फिशरीज
20.	खादी एवं ग्राम उद्योग
21.	प्राइवेट फेरीज एंड एल.टी.सी
22.	जिल्दसाजी उद्योग
23.	दफती, कार्ड बोर्ड, मील बोर्ड, कारगरेक बोर्ड, एक्स्ट्रा बोर्ड या गत्ता पेपर बोर्ड निर्माण
24.	इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग
25.	सिमेंट ह्यूम पाईप, बिजली का खंभा एवं रेलवे स्लीपर बनाने का उद्योग
26.	प्लाईउड उद्योग
27.	बिजली एवं अन्य प्रकार के बल्ब तथा फ्लोरेन्स ट्यूब निर्माण उद्योग
28.	ढलाई (फाउन्ड्री) उद्योग
29.	रबड़ एवं कम्पाउंड उद्योग
30.	बिस्कुट उद्योग
31.	कोल ब्रिकेट उद्योग
32.	सिलाई उद्योग
33.	हैंडलूम उद्योग
34.	निजी अस्पताल, नर्सिंग होम्स एवं क्लीनिक्स
35.	डिस्ट्रीलरीज
36.	प्लास्टिक उद्योग
37.	मिनरल ग्राईडिंग उद्योग
38.	शीशा उद्योग (ग्लास शीट छोड़कर)
39.	डेयरीज एवं पॉल्ट्री फार्मश
40.	स्वर्ण एवं रजत आभूषण तथा कलापूर्ण सामग्रियों के निर्माण
41.	चर्म शोधनालय और चर्म विनिर्माणशालाओं
42.	चावल मिल, आटा मिल, एवं दाल मिल
43.	तेल मिल
44.	मुद्रणालय
45.	किसी दुकान अथवा प्रतिष्ठान
46.	पब्लिक मोटर ट्रांसपोर्ट
47.	ऊनी कालीन बनाने वाले या शाल बुनने वाले
48.	कोल्ड स्टोरेज
49.	लघु अभियंत्रण उद्योग (स्वचालित दुकान को छोड़कर 50 से कम कामगार नियोजित करने वाले)–
50.	बांध निर्माण एवं सिंचाई कार्य
51.	सड़कों के निर्माण या अनुरक्षण अथवा निर्माण कार्य
52.	बेकरीज एवं कन्फेक्सीज
53.	पकाई खाद्य वस्तु बेचने वाली दुकानें
54.	होटल, भोजन गृह एवं रेस्तराओं
55.	अबरख कार्य (खादान को छोड़कर) – कारखाना एवं प्रतिष्ठान
56.	सिनेमा उद्योग–
57.	किसी भी विश्वविद्यालय शैक्षणिक शोध अथवा सांस्कृतिक संस्थान
58.	प्राइवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी
59.	रिफेक्ट्रीज, फायर ब्रिक्स एवं सिरामिक्स उद्योग
60.	पौट्रीज
61.	ऑटोमोबाईल इंजिनियरिंग शाप्स
62.	हार्ड कोक भट्टे
63.	कूरियर सेवा

क्र० सं०	अनुसूचित नियोजनों का नाम
1.	सामान्य नियोजन (69 नियोजन)
64.	चूड़ा मिल
65.	इलेक्ट्रोकास्टिंग एवं मेटल फर्निशिंग उद्योग
66.	अभियंत्रण उद्योग (50 से अधिक कामगार नियोजित करने वाले)
67.	लोहा से छड़ पट्टी, एंगल आदि रोलिंग का कार्य
68.	जूट उद्योग एवं अनुसंगिक कार्य
69.	सूचना एवं प्रौद्योगिक उद्योग

अनुसूची-II

क्र० सं०	कामगारों की श्रेणी	दिनांक- 01.12.2016 को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरें	दिनांक- 01.04.2022 को परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता	दिनांक- 01.04.2022 को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरें कुल (3+4)	दिनांक- 01.04.2022 को निर्धारित के दर पर 15% वृद्धि के पुनरीक्षण का लाभ	पुनरीक्षण के पश्चात् प्रस्तावित न्यूनतम मजदूरी की दरें
1	2	3	4	5	6	7
1	अकुशल	237.00	81.00	318.00	48.00	366.00 प्रतिदिन
2	अर्द्धकुशल	247.00	83.00	330.00	50.00	380.00 प्रतिदिन
3	कुशल	301.00	102.00	403.00	60.00	463.00 प्रतिदिन
4	अतिकुशल	367.00	125.00	492.00	74.00	566.00 प्रतिदिन
5	पर्यवेक्षीय / लिपिकीय	6799.00	2312.00	9111.00	1367.00	10478.00 प्रतिमाह

**टिप्पणी :-**

- (क) न्यूनतम मजदूरी की उपर्युक्त दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1960-100) 8163.00 जो वर्ष, 2021 द्वितीय अर्द्धांश (जुलाई-दिसम्बर) का औसत है, पर आधारित है।
- (ख) दिनांक 20.03.2022 को बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्वद के परामर्श के आलोक में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 34% शून्यीकरण के अतिरिक्त 15% जोड़कर न्यूनतम मजदूरी निर्धारण किया गया है ताकि पुनरीक्षण के फलस्वरूप मजदूरी में वृद्धि वास्तविक रूप से परलक्षित हो।
- (ग) न्यूनतम मजदूरी की मासिक दरों का दैनिक मजदूरी की दरों में परिवर्तन 26 से भाग देकर तथा दैनिक मजदूरी की दरों का मासिक मजदूरी की दरों में परिवर्तन 26 से गुणा करके प्राप्त किया जायेगा।
- (घ) न्यूनतम मजदूरी की उपर्युक्त प्रस्तावित दरों में सात दिनों की अवधि में विश्राम के दिन के लिए कर्मचारियों को देय पारिश्रमिक शामिल है।
- (च) साप्ताहिक विश्राम के दिन अथवा अन्य किसी दिन समयोपरि (Overtime) कार्य के लिए कामगार बिहार न्यूनतम मजदूरी नियमावली, 1951 के नियम-25 में विहित दर से समयोपरि काम का दो गुणा मजदूरी भुगतान पाने का हकदार होगा।
- (छ) पुरुष तथा स्त्री कामगार एक ही काम या उसी प्रकार के काम के लिए समान दर पर मजदूरी पायेंगे।

(सं०-5/एम०डब्लू०-40-16/2021 श्र०सं०-1894)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

गजेन्द्र कुमार मिश्रा,

संयुक्त सचिव।

10 जून 2022

एस0 ओ0 102, एस0 ओ0 101 दिनांक 13 जून 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्य के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0-5/एम0डब्लू0-40-16/2021 श्र0सं0-1895)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

गजेन्द्र कुमार मिश्रा,

संयुक्त सचिव।

**THE 10TH JUNE 2022****DRAFT NOTIFICATION**

S.O. 101, Dated 13th June 2022—The following draft of proposal to revise the minimum rates of wages fixed in the state Government so many Notification for certain categories of employees employed in the following Employment in the State of Bihar, Which the Governor of Bihar proposes to make in exercise of powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 3 of the said Act in hereby published as required by clause (b) of sub-section (1) of section - 5 of the said Act for the information of persons likely to be effected thereby and notice is hereby given that the said proposal will be taken in to consideration after two months from the date of publication of this notification in the Bihar Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person in respect of the said proposal on or before the date of expiry of the said period of two months shall be considered by the State Government.

**Draft Proposal  
Schedule-I**

Sl. No.	Name of Scheduled Employments
1.	<b>General Employment (69 Employment):-</b>
1.	Co- operative- Sector
2.	Aluminium Industry
3.	Khandsari industry
4.	Chemical and Pharmaceutical Industry
5.	Soap Making Industry
6.	Cement Pre-stressed product Industry
7.	Asbestos Cement Industry
8.	Glass Sheet Industry
9.	Gun factories
10.	Religious & Social Institution
11.	Paper Industry
12.	Laundry & washing
13.	Hosieries Manufactory Corrugated Board, Straw
14.	Manufacture of Sindur & Rang
15.	Manufacture of Leather good
16.	Wood works & furniture
17.	Ice Cream and Cold Drinks
18.	Petrol and Diesel Pump
19.	Fisheries
20.	Khadi and Village Industries
21.	Private Ferries & LTC
22.	Book binding Industry
23.	Dafti Card Board, Mill Board Paper Board corrugated Board, Straw Board or Gatta Paper Boar Manufactory.
24.	Electronics Industry
25.	Cement Hume pipe, Electric pole and railway Sleeper manufactures Industry
26.	Plywood Industries

Sl. No.	Name of Scheduled Employments
1.	<b>General Employment (69 Employment):-</b>
27.	Electric and other type of Bulbs and Florence tubes
28.	Foundry Industries
29.	Rubber and Rubber Compound Industry (on which manufacture
30.	Biscuit Industry
31.	Coal briquette Industry
32.	Tailoring Industry -
33.	Handloom Industry
34.	Private Hospitals, Nurshing Home and Clinic
35.	Distilleries
36.	Plastic Industries
37.	Mineral Grinding Industry
38.	Glass Industries (excluding glass sheet)
39.	Dairies and Poultry Farms
40.	Manufacture of Gold, Silver Ornaments & article of artistic design
41.	Tanneries Leather Technology
42.	Oil Mills
43.	Rice Mills, Flour Mills & Dal Mills
44.	Printing Press
45.	Any Shops and establishment
46.	Public Motor Transport
47.	Any woollen carpet making or shawl weaving establishment.
48.	Coal Storage
49.	Minor Engineering Industry (excluding Automobile Engineering Shops less than 50 workers.)
50.	Dam Construction & Irrigation
51.	Construction or Manufactory of Road or in Building Construction
52.	Bakeries and Confectioneries
53.	Shops selling cooked food stuff
54.	Hotels Eating House and Restaurants.
55.	Mica work (Factory & Establishment excluding Mine)
56.	Cinema Industry
57.	Any University, Educational, Research or cultural institutions.
58.	Private Security
59.	Refectories Fire Bricks & Ceramic Industry
60.	Potteries
61.	Automobile Engineering Shops
62.	Hard Coke Industry
63.	Currier Service
64.	Frittered Rice
65.	Electro Casting and Metal Furnishing
66.	Engineering Industries (Employment more than 50 workers)
67.	Rolling of Iron Rod, Plates, Angles etc., works
68.	Jute Industry & Similar works
69.	Information Technology

**Schedule-II**

SI No.	Categories of Workers	Minimum Rates of Wages as on date 01.12.2016	V.D.A Payable as on date 01.04.2022	Minimum Rates of Wages as on date 01.04.2022 (3+4)	15% Existing on Minimum Wages Rate	Proposed Minimum Rates of Wages after revision
1	2	3	4	5	6	7
1	Unskilled	237.00	81.00	318.00	48.00	366.00 Perday
2	Semi skilled	247.00	83.00	330.00	50.00	380.00 Perday
3	Skilled	301.00	102.00	403.00	60.00	463.00 Perday
4	Highly Skilled	367.00	125.00	492.00	74.00	566.00 Perday
5	Supervisory/ Clerical	6799.00	2312.00	9111.00	1367.00	10478.00 Per month

Note :-

- The minimum rates of wages above are based on the All India Average Consumer Price Index Number (1960-100) 8163.00 which is the average of the indices of the Second half of the year, 2021 (July-December)
- Minimum wages has been revised on the suggestion made by the Minimum wage advisory board on 23.03.2022 by adding 15% additional after the 34% neutralization in the consumer price index, so that actual wages may increase.
- Conversion of the monthly rate of wages into daily rates of wages and vice-versa shall be worked out by dividing the monthly rates by 26 and by multiplying the daily rates by 26.
- The proposed rates of minimum wages above include of the remuneration payable to the employee in respect of the day of rest in every period of seven days.
- An employee shall for the work done on the weekly day of rest be entitled to overtime payment as the rate prescribed in rule 25 of the Bihar Minimum Wages Rule, 1951.
- Men and women workers shall get the same rates of wages for the same work or a similar nature.

(No.-5/M.W-40-16/2021 L & R -1894)

By order of the Governor of Bihar,  
GAJENDRA KUMAR MISHRA,

*Joint Secretary.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 362-571+100-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>